रजिस्टर्ड/सीव्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1191/2026/825/22-2-2026-17(141)/2013
लखनऊ : दिनांक: 08 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 07 अप्रैल, 2026 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरोज तैय्यब तानाशाह (बंदी संख्या-27864) पुत्र श्री तैय्यब तानाशाह, सी-19 परेरा कालोनी रूम नं0-04, नयागॉव, तहसील-बसदी, जिला ठाणे महाराष्ट्र, वर्तमान पता-वफा हिल अलमास कालोनी जी विंग थर्ड फ्लोर रूप नं0-301 कौसा मुम्ब्रा ओल्ड पुणे रोड, जिला-ठाणे राज्य महाराष्ट्र, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-51/2003 में भा0द0वि0 की धारा-148, 332, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (आव०व०अधि०), इटावा के आदेश दिनांक-25.02.2006 द्वारा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-21.09.2007 द्वारा निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक-29.09.2022 तक अपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 04 दिन एवं सपरिहार 23 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1191/2026/825(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ठाणे राज्य, महाराष्ट्र।
3- पुलिस अधीक्षक, जनपद-ठाणे राज्य, महाराष्ट्र।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-345/2022 फिरोज तैय्यब तानाशाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-28.01.2026 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in